

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत... सहायक कलक्टर मुकाम (SDO) बाभल

चन्दन गोदारा बनाम खेताराम बोरडा

किस्म मुकदमा रा. प्रवेद 111, 128 RLR नं 366/2021 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/12/2021	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री खेताराम जावड</p> <p>ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR A</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/01/2022 को पेश हो।</p>	
18/04/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/जजे के नोटिस अहकाम तामील अहकाम तामील अप्राप्त/श्रीमान पीठामीन अधिकारी अवकाश में होने पर मिशाल ईलवा होकर आगामी दिनांक 17/02/2022 को पेश हो।</p>	<p>18/04/2022</p>
17/02/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी/जजे के नोटिस तामील अहकाम तामील अहकाम तामील अप्राप्त/श्रीमान पीठामीन अधिकारी अवकाश में होने पर मिशाल ईलवा होकर आगामी दिनांक 17/02/2022 को पेश हो।</p>	<p>17/02/2022</p>

सहायक (SDO) बाभल

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

न्यायालय
259

माक / वाद / 2022 /
प्रार्थी

बन्दन गादरा
जाति

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2022/ 259

दिनांक:- 28/03/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चन्दन गोदारा पुत्र लुम्भाराम वगैरा 04,
जाति जाट, निवासी परेऊ,
पटवार मण्डल परेऊ,
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. खेताराम पुत्र अन्नाराम वगैरा 20,
जाति जाट, निवासी परेऊ,
पटवार मण्डल परेऊ,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 366/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - परेऊ, पटवार मण्डल - परेऊ, तहसील - गिड़ा, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 811/388, 865/388 रकबा क्रमशः 1.0684, 4.5729 हैक्टर व मौजा बेनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का परेऊ तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 405/317, 410/319 रकबा क्रमशः 2.0234, 3.6826 हेक्टर व मौजा चीमाणियों की ढाणी पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा के खेत खसरा नं. 178/106 रकबा 3.1404 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

क्रमांक/वाद/2022/ 260 to 264
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का परेऊ, कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चन्दन गोदारा पुत्र लुम्भाराम वगैरा 04
4. विप्रार्थी श्री खेताराम पुत्र अन्नाराम वगैरा 20
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 28/03/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु

(SDO)